

आदेश

तिथि
Feb 9 2022

आदेश पर की गई
कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा श्यामगंज थाना देवघर

खाता	प्लॉट	रकबा
62/2988/32	TPP 255 अंश	0 एकड़ 2.662 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रीता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्रीमती संगीता प्रसाद (श्रीवास्तव)	पति	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव

है जिन्होंने निवांधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 217 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदीरेयत

रियत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्रीमती संगीता प्रसाद	पति	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ति नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं.नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

राजस्व उपनिरीक्षक व अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि मौजा श्यामगंज के अंतर्गत असर्वेक्षित बसोड़ी सत्त्व की भूमि हैं आवेदक आवेदित भूमि में हाता के रूप में दखलकार है अतः संलग्न डीड एवं दखल के आधार पर आवेदित भूमि की नामान्तरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती हैं। अतः राजस्व उपनिरीक्षक व अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन व अनुशंसा, निवांधित दलील एवं दखल के आधार पर नामान्तरण वाद स्वीकृत किया जाता हैं। यह आदेश पूर्णतः अपीलीय है। इस आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील किया जा सकता है।

अतः वार्षिक लगान 30 रुपये

स्वीकृत

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :
MOTI LAL HEMBROM
अंचलाधिकारी देवघर

ATTESTED
20/02/2024
NOTARY (REGD NO. 2500A)
GOVT OF JHARKHAND
DIST. DEOGARH, INDIA

मोती लाल हेम्बरम